जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 23.06.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 22.06.2025 को वादी मौ0 अतहर पुत्र मौ0 जाफर निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण शहबाज पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व फहीम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के कारखाने से लोहे के पाइप, गार्डर, एंगल आदि सामान चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 540/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त नाजिम पुत्र मौहम्मद रफीक निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 23.06.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.शहबाज पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 2.फहीम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 3.नाजिम पुत्र मौहम्मद रफीक निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किया गया माल (एक प्लास्टिक के कट्टे मे लोहे की चकोर पाइप के 37 टुकडे व एक प्लास्टिक के कट्टे में लोहे की एंगल के कटे हुए 06 टुकडे एवं एंगल व पाइप के छोटे-छोटे टुकड मय स्क्रैप) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्वि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.शहबाज पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.फहीम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.नाजिम पुत्र मौहम्मद रफीक निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी किया गया माल (एक प्लास्टिक के कट्टे मे लोहे की चकोर पाइप के 37 टुकडे व एक प्लास्टिक के कट्टे में लोहे की एंगल के कटे हुए 06 टुकडे एवं एंगल व पाइप के छोटे-छोटे टुकड मय स्क्रैप)

अभियुक्त शहबाज का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 540/25 धारा305(ए)/317(2)/317(5)बीएनएस कोतवाली शहर बिजनौर।

अभियुक्त फहीम का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 540/25 धारा305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 393/23 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना बिजनौर

अभियुक्त नाजिम का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 540/25 धारा 305(ए)/317(2)/317(5)बीएनएस थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 विनय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 1606 हरेन्द्र थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. का0 2061 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हीमपुर दीपा दिनॉक 23.06.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.06.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म(एक्स) पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक द्वारा युवती के साथ मारपीट की जा रही है। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान अनमोल पुत्र अशोक निवासी ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के रूप में हुई। युवती के पिता श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम ककराला भगवन्तपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर एन0सी0आर0 02/25 धारा 323 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 23.06.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त अनमोल पुत्र अशोक निवासी ग्राम ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अनमोल पुत्र अशोक निवासी ग्राम ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह नागर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2441 अजयपाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1960 शिव शंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक 23.06.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 154/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर टांडामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर व 2.विकास पुत्र पवन निवासी ग्राम सन्नावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर वादी की दो पुत्रियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा दिनांक 22.06.2025 को वादी की दोनो पुत्रियों को बरामद किया गया तथा अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरणः-

आज दिनांक 23.06.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र चन्द्रभान उपरोक्त व 2.विकास पुत्र पवन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.मोहित पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम सरफुद्दीन नगर टांडामाईदास थाना नगीना देहात बिजनौर।
2.विकास पुत्र पवन निवासी ग्राम सन्नावाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी सुनिल मलिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी नितिन कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।